

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3315 / 2024 दिनांक : 07.10.2024

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, (RJ00526) विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-प्रथम को दिनांक 17.09.2024 से 21.09.2024 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 एवं 22.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम/अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-प्रथम के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


05/10/24

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/12/2005/ 7968

दिनांक : 07.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 4436 दिनांक 23.09.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, (RJ00526) विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-प्रथम।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/जनजाति (अ.नि.प्रकरण), जयपुर महानगर-प्रथम।
5. विशिष्ट न्यायाधीश, जाली नोट प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम।
6. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर-प्रथम।


05/10/24
सहायक रजिस्ट्रार